27.6.18 को पेश हो।

27.6.18 [illegible]

6/7/18 को पेश हो।

6.7.18 [illegible]

09/7/18

9/7/18 [illegible]

जीप दौरे

13/7/18

13.7.18- पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित। फिनल मूल अपील के साथ दिनांक 16-7-18 को पेश हो।

16-7-18 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित। फिनल मूल अपील के साथ दिनांक 23-7-18 को पेश हो।

23-7-18 पत्रावली पेश हुई।
वकील एडवोकेट/प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में मूल अपील का निर्णय हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर हो।